इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016—आश्विन 29, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

आदेश

क्र. बी-4-11-2016-2-पांच(25).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीन-तिमाही में जारी की गई बीमा पॉलिसी पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उनका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय खजाने में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान समेकित रीति से कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.

(2) मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपये 70 लाख (रुपये सत्तर लाख) केवल के भुगतान के चालान की प्रति परिक्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, ग्वालियर के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

(3) उस अवधि के, जिसके लिये शुल्क का समेकन किया गया है समाप्त होने के तुरन्त बाद, बीमित राशि की पालिसी क्रमांक तथा पालिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक पंजीयन, ग्वालियर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. एफ बी-4-11-2016-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी-4-11-2016-2-पांच(25), दिनांक 21 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 21st October 2016

ORDER

No. B-4-11-2016-2-V(25).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Shahdol during the three quarter of financial year 2016-17 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions, namely :—

(1) It shall be indicated by an endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the consolidated manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.

(2) A copy of the Challan of payment of consolidated amount of Rs. 60 Lakh (Rupees Sixty Lakhs) only, in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Three Quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amout of Stamp Duty paid on the policies at the end of Three quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.